प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला – पन्ना ।

बिषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैंच नईदिल्ली के प्रकरण क्रमांक 420/2019 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2019 ।

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर के आदेश क्रमांक 499 दिनांक 16.07.19 एवं खनिज अधिकारी पन्ना के आदेश दिनांक 26.07.19 ।

बिषयांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर के संदर्भित पत्र के माध्यम से ग्राम बीजादेह खिलसारी में स्वीकृत खदान की जानकारी चाही गई है ग्राम बीजादेह खिलसारी में 02 फर्शी पत्थर की खदानें वर्तमान में स्वीकृत हैं– 1. मेसर्स एस0एस0 मिनरल 2. श्री राजेन्द्र कुमार जैन के नाम स्वीकृत हैं ।

1. ग्राम बीजादेह खिलसारी में वर्ष 2001 से स्वीकृत खदानों की सूची, पट्टाधारी का नाम मय उत्खनन क्षेत्रफल, खदानों की नदी, स्कूल, तालाब, आवासीय क्षेत्र से दूरी ।
2. ग्राम बीजादेह खिलसारी में वर्तमान में संचालित खदानों की दूरी तथा इनके द्वारा विगत 03 वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी ।
3. खदानों का क्षेत्रफल दर्शित करते हुये नक्शा ।

उपरोक्त पत्र के संदर्भ में मेरे द्वारा दिनांक 28.07.19 को ग्राम बीजादेह खिलसारी में श्री राजेन्द्र जैन निवासी सलेहा के नाम जो खदान खसरा नंबर 250/3 एवं 250/5 के रकवा 1.020 हेक्टेयर क्षेत्र में अवधि 04.05.2016 से 03.05.2026 तक के लिये एवं मेसर्स एस0एस0 मिनरल के नाम ग्राम बीजादेह खिलसारी के खसरा नंबर 250/6, 250/7, 250/8 रकवा 2.10 हेक्टेयर क्षेत्र में अवधि 29.02.16 से 28.02.26 तक के लिये स्वीकृत है उपरोक्त दोनों स्वीकृत खदानों का निरीक्षण राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी एवं पट्टेदार श्री राजेन्द्र जैन तथा मेसर्स एस0एस0 मिनरल की ओर से उपस्थित श्री केशरी सिंह की उपस्थिति में किया गया । जो निम्नानुसार है–

(1) <u>श्री राजेन्द्र कुमार जैन संबंधी</u>–

1. श्री राजेन्द्र कुमार जैन के नाम जो खदान स्वीकृत की गई है उसकी स्वीकृत नक्शे के अनुसार स्थित नदी से म0प्र0 गौण खनिज नियमावलि 1996 के नियम 3 (1) के अनुसार 100 मीटर दूरी नही छोडी गई है ।
2. श्री राजेन्द्र कुमार जैन के नाम स्वीकृत खदान ग्राम बीजादेह खिलसारी में विद्यमान स्कूल से 60 मीटर की दूरी पर है तथा आबादी से 305 मीटर की दूरी पर है । पर्यावरण विभाग द्वारा जारी निर्देश परिशिष्ट 1 के

अनुसार स्वीकृत खदान से शैक्षणिक संस्थान एवं आबादी से निर्धारित दूरी 500 मीटर नही छोडी गई है।

3. श्री राजेन्द्र जैन के द्वारा ग्राम बीजादेह खिलसारी में स्वीकृत खदान में उत्खनन का कार्य नदी के किनारे से किया गया है तथा उत्खनन पश्चात गड्ढे को मलवा से भर दिया गया है। निरीक्षण दिनांक को उत्खनन कार्य बंद पाया गया।

4. श्री राजेन्द्र जैन के द्वारा अपनी स्वीकृत खदान में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार मौके पर पक्के मुनारे नही बनवाये गये हैं।

5. श्री राजेन्द्र जैन के द्वारा स्वीकृत खदान का कर निर्धारण नही करवाया गया है और न ही कर निर्धारण के लिये अभिलेख प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे द्वारा निरीक्षण दिनांक को भी अभिलेख चाहा गया था जो प्रस्तुत नही किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न होने से स्वीकृत दिनांक से निरीक्षण दिनांक तक किये गये उत्खनन की जानकारी नही है।

6. श्री राजेन्द्र जैन के द्वारा स्वीकृत खदान के मुनारे नदी से 59 मीटर की दूरी पर बनाये गये हैं, स्वीकृत नक्शे के अनुसार नही बनाये गये हैं।

(2) <u>मेसर्स एस0एस0 मिनरल संबंधी</u>–

1. मेसर्स एस0एस0 मिनरल के नाम जो खदान स्वीकृत की गई है उसकी स्वीकृत नक्शे के अनुसार स्थित नदी से लगकर स्वीकृत की गई है, म0प्र0 गौण खनिज नियमावलि 1996 के नियम 3 (1) के अनुसार 100 मीटर दूरी नही छोडी गई है।

2. मेसर्स एस0एस0 मिनरल के नाम स्वीकृत खदान ग्राम बीजादेह खिलसारी में विद्यमान शैक्षणिक संस्थान से 80 मीटर की दूरी पर है तथा आबादी से 305 मीटर की दूरी पर है। पर्यावरण विभाग द्वारा जारी निर्देश परिशिष्ट 1 के अनुसार स्वीकृत खदान से शैक्षणिक संस्थान एवं आबादी से निर्धारित दूरी 500 मीटर नही छोडी गई है।

3. मेसर्स एस0एस0 मिनरल के द्वारा ग्राम बीजादेह खिलसारी में स्वीकृत खदान में उत्खनन का कार्य नदी के किनारे से किया गया है तथा उत्खनन पश्चात गड्ढे को मलवा से भर दिया गया है। मौके पर निरीक्षण दिनांक को उत्खनन कार्य जो चल रहा है वह नदी से 100 मीटर की दूरी पर चल रहा है तथा शैक्षणिक संस्थान से 120 मीटर की दूरी पर किया जा रहा है।

4. मेसर्स एस0एस0 मिनरल के द्वारा अपनी स्वीकृत खदान में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार मौके पर पक्के मुनारे नही बनवाये गये हैं।

5. मेसर्स एस0एस0 मिनरल के द्वारा स्वीकृत खदान का कर निर्धारण नही करवाया गया है और न ही कर निर्धारण के लिये अभिलेख प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे द्वारा निरीक्षण दिनांक को भी अभिलेख चाहा गया था जो प्रस्तुत नही किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न होने से स्वीकृत दिनांक से निरीक्षण दिनांक तक किये गये

उत्खनन की जानकारी नही है ।

उपरोक्त दोनों खदान मालिकों द्वारा जो उत्खनन कार्य किया गया है वह नदी के किनारे से किया गया है, नदी के किनारे से जो उत्खनन कार्य किया गया था उसमें मलवा भरा गया है तथा दोनों स्वीकृत खदानों की नदी से निर्धारित 100 मीटर दूरी नही छोडी गई हें ।

अतः दोनों पट्टेदारों को कार्यालय से कर निर्धारण हेतु तत्काल अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये जाना उचित होगा, जब तक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तब तक खदानों के अभिवहन पास ई–खनिज पोर्टल से बंद किये जाना उचित होगा ।

संलग्नः– पंचनामा व मौके का नजरी नक्शा ।

खनिज निरीक्षक
जिला– पन्ना

पंचनामा

हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले पंचगण आज दिनांक 28/7/19 को ग्राम बीजादेह खिलमारी मे तस्दीक करते है कि राजस्व निरीक्षक, खनि-निरीक्षक तथा हल्का पटवारी, खदान मालिक श्री राजेन्द्र जैन, एम. एम. मिनरल्स की ओर से श्री केशरी सिंह की उपस्थिति मे निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान चारो कोनो के मुनारो GPS reading ली गई! माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के प्रकरण क्र. 420/2019 मे दिनांक 02/07/19 पारित आदेश के परिपालन मे एम. एम. मिनरल्स (खदान इकाई) तथा श्री राजेन्द्र कुमार जैन ग्राम बीजादेह खिलमारी मे आवंटित खदानो के बिंदुओ की जानकारी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बीजादेह खिलमारी मे खदानो की दूरी नदी, तालाब, आवासीय क्षेत्र से दूरी का निरीक्षण किया श्री राजेन्द्र जैन के नाम स्वीकृत खदान खसरा न. 250/3, 250/5 की नदी से दूरी लगभग (59 मी), स्कूल से (80 मी), आवासीय क्षेत्र से (305 मी) पाई गई तथा श्री एम एम. मिनरल्स के नाम स्वीकृत खदान खसरा न. 250/6, 7, 8 रकबा 2.10 hect की नदी से (लगभग [illegible]) दूरी, स्कूल से (80 मी.) आवासीय क्षेत्र से (305 मी) दूरी नापी गई मौके पर मुनारे बने पाये गये किंतु स्वीकृत क्षेत्र के अंदर काम क्षेत्र पर मुनार स्थापित किये गये है. वर्तमान मे उत्खनन कार्य नदी से 100 मी. की दूरी पर किया जा रहा है. स्कूल से भी उत्खनन कार्य 120 मी. दूरी छोड़ कर किया जा रहा है.

राय सं

[signatures] Jain (क.) 28/7/19

जीतसिंह 28/7/19

28/7/19

28/7/19 सरदारसिंह

रामजीलाल

रूपेशलाल

अनन्द सिंह

[thumb impressions]

नजरी-नक्शा

ग्राम-बीजाडुह (बिलखारी) की आ०न० 250/5, 250/3, 250/6
250/7, 250/8 का नजरी नक्शा रकबा 5.40 हे०- पवई
जिला- पन्ना (म०प्र०)

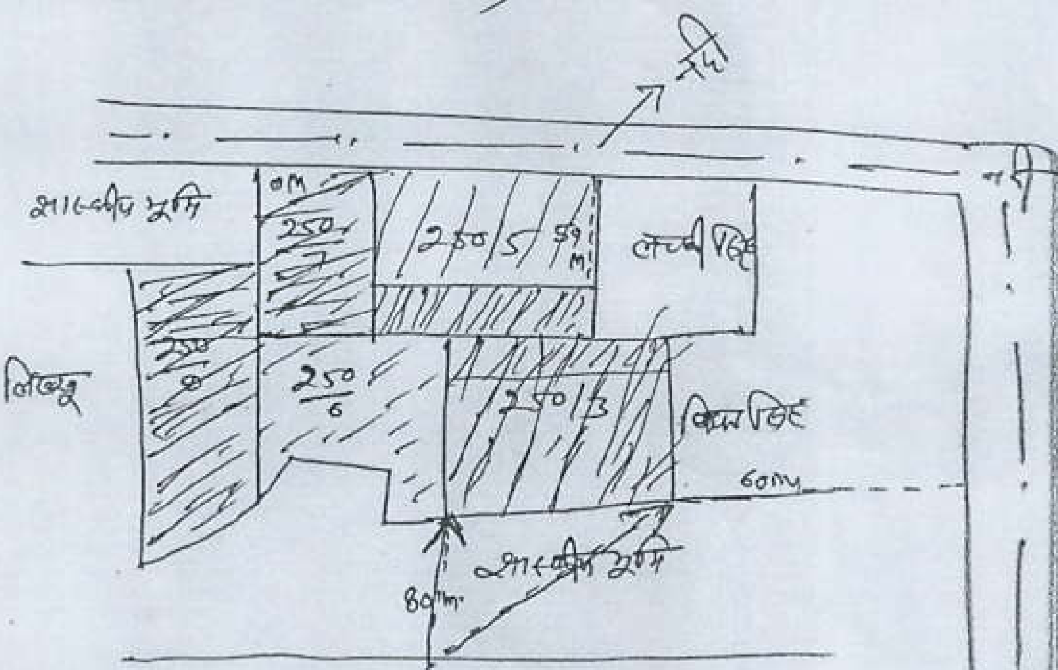

1) श्री राजेन्द्र कुमार जैन के नाम
स्वीकृत खदान खसरा न० 250/5, 250/3
रकबा 1.020 hec

2) मेसर्स S.S. minerals के नाम स्वीकृत
खदान खसरा न० 250/7, 250/6
250/8, रकबा 2.020 hec.

INDEX-:

1) श्री राजेन्द्र कुमार जैन द्वारा
उत्खनन लीज खसरा न० 250/5,
250/3

2) मेसर्स एस.एस. मिनरल्स द्वारा
उत्खनन लीज खसरा न० 250/7,
250/8.

पटवारी

Jain (m.p.)